

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 1603 / 33-1 / उरई, दिनांक दिसम्बर 13 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:- पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड WR-II झांसी द्वारा 765 केवी सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है, संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है। संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयाग एवं उस पर अवयसथित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 1430/11 सी दिनांक 24.11.2017 एवं आपका पत्रांक 2906/33-1 दिनांक 04.12.2017।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1586/33-1 दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी से आपत्तियों का निस्तारण मांगा गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1537/11/सी/FP /UP/TRANS/22022/2016 दिनांक 07.12.2017 के सन्दर्भ में प्रस्ताव आनलाइन वापस किया जाता है।

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(बी०आर० अहिरवार)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
जालौन/सा०वा०, वन प्रभाग उरई।